

प्रतस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता

प्रलिस के लयः

प्रतस्थापन प्रजनन दर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थय सेवा, संबधति सरकारी योजनाएँ

मेन्स के लयः

बढती/घटती जनसंख्या का महत्त्व, परिवार नयोजन का महत्त्व, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थय सर्वेक्षण, सरकार की पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने बताया कदेश ने प्रतस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासलि कर ली है, जसिमें 31 राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों की कुल प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है।

- वर्ष 2012 और 2020 के बीच भारत में **आधुनिक गर्भ नरिधक उपायों** से 1.5 करोड़ से अधिक युगल लाभान्वति हुए जो इनके उपयोग में हुई वृद्धि को दर्शाता है।
- सरकार ने भारत परिवार नयोजन 2030 वज़िन दस्तावेज़ का भी अनावरण कथि।

प्रतस्थापन प्रजनन क्षमता:

- प्रतमहलिा लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर (TFR) को **प्रतस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता** कहा जाता है।
 - प्रतमहलिा 2.1 बच्चों से कम TFR - इंगति करता है कएक पीढ़ी स्वयं को प्रतस्थापति करने के लयि लयि पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है, अंततः जनसंख्या में समग्र रूप से कमी आई है।
 - कुल प्रजनन दर एक महलिा के संपूर्ण जीवनकाल में प्रसव करने वाली उम्र की महलिा से पैदा या पैदा होने वाले कुल बच्चों की संख्या को संदर्भति करती है।
- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2015-16 के 2.2 से घटकर वर्ष 2019-21 में 2.0 हो गई है, जो जनसंख्या नयितरण उपायों की महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जैसा कश **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थय सर्वेक्षण (NFHS-5)** के पाँचवें दौर की रपौर्ट से भी पता चलता है।

भारत परिवार नयोजन 2030 वज़िन:

- केंद्र बढिः
 - बच्चे पैदा करने की रणनीति, जागरूकता कार्यक्रमों में पुरुष भागीदारी की कमी, प्रवास और गर्भ नरिधकों तक पहुँच की कमी को प्राथमकताओं के रूप में पहचाना गया है।
- गर्भ नरिधकः
 - आधुनिक गर्भ नरिधक प्रसार दरः
 - प्रवासी वविाहति पुरुषों की बड़ी संख्याः
 - बहिर में 35 प्रतशित और उत्तर प्रदेश में 24 प्रतशित।
 - आधुनिक गर्भ नरिधक प्रसार दर में कमी ज़्यादातर गर्भ नरिधक तैयारियों की कमी, **स्वास्थय सुविधाओं तक पहुँच के कारण गर्भ नरिधकों की खरीद में असमर्थता** और महलिाओं द्वारा **गर्भ नरिधक को खरीदने के बारे में सामाज में व्याप्त संकोच की प्रवृत्ति** के कारण भी होता है।
 - नवासी पुरुषों की संख्याः
 - बहिर में 47 प्रतशित और उत्तर प्रदेश में 36 प्रतशित।
 - यद्यपि वविाहति कशिरोँ और युवतियों में **आधुनिक गर्भ नरिधकों का उपयोग बढा** है, लेकिन यह अपेक्षाकृत रूप से कम है।
 - वविाहति महलिाओं और युवतियों ने बताया क गर्भनरिधक गोलियों की की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाती है।
 - कई ज़िलों में 20% से अधिक महलिाओं की शादी वयस्क होने से पहले ही हो जाती है।

- इनमें बहिर के 17, पश्चिमि बंगाल के 8, झारखंड के 7, असम के 4, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के दो-दो ज़िले शामिल हैं।
- इन ज़िलों में आधुनिक गर्भ नरोधकों का कम उपयोग देखा गया है।
- इस दृष्टिसे आधुनिक गर्भ नरोधकों को उपलब्ध कराने के लिये नजि कषेत्र का उपयोग करना भी योजना में शामिल है।
- नजि कषेत्र द्वारा गर्भ नरोधक गोलियों के वतिरण में 45% और कंडोम के वतिरण में 40% का योगदान दिया जाता है। इसके साथ ही इंजेक्शन जैसे अन्य प्रतविरती गर्भ नरोधकों एवं अंतरगर्भाशयी गर्भनरोधक उपकरण (IUCD) में क्रमशः 30% और 24% का योगदान है।

प्रतस्थापन स्तर प्रजनन में गरिवट का कारण:

- **महिला सशक्तीकरण:**
 - नवीनतम आँकड़े प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, विवाह की आयु और महिला सशक्तीकरण से संबंधित कई संकेतकों पर महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं, इन सभी ने टीएफआर में कमी लाने में योगदान दिया है।
- **गर्भनरोधक:**
 - वर्ष 2012 और 2020 के बीच भारत ने आधुनिक गर्भ नरोधकों के उपयोग के लिये 1.5 करोड़ से अधिक अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं शामिल किया जिससे इनके उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- **रविरसबिल स्पेसगि:**
 - नई 'रविरसबिल स्पेसगि' (बच्चों के बीच अंतर) वधियों की शुरुआत, नसबंदी के परिणामस्वरूप मज़दूरी मुआवज़ा प्रणाली और छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने जैसी कार्यवाहियों ने पछिले कुछ वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **सरकारी पहल:**
- **मशिन परिवार विकास:**
 - सरकार ने सात उच्च फोकस वाले राज्यों में 3 और उससे अधिक के टीएफआर वाले 146 उच्च प्रजनन क्षमता वाले ज़िलों में गर्भ नरोधकों एवं परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये वर्ष 2017 में 'मशिन परिवार विकास' शुरू किया।
- **राष्ट्रीय परिवार नियोजन कषतपूरति योजना (NFPI):**
 - यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी, इस योजना के तहत नसबंदी के बाद मृत्यु, जटिलता और वफिलता की स्थिति के लिये ग्राहकों का बीमा किया जाता है।
- **नसबंदी करने वालों के लिये मुआवज़ा योजना:**
 - इस योजना के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से नसबंदी कराने वाले लाभार्थी और सेवा प्रदाता (टीम) को मुआवज़ा प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण:

- **परचिय:**
 - **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) संपूर्ण भारत में परिवारों के प्रतनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाने वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है।**
- **आयोजन:**
 - **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सर्वेक्षण के लिये समन्वय एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या वजिज्ञान संस्थान (IIPS) मुंबई को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।**
 - IIPS सर्वेक्षण कार्यान्वयन के लिये कई कषेत्रीय संगठनों (FO) के साथ सहयोग करता है।
- **उद्देश्य:**
 - **NFHS के प्रत्येक क्रमिक चरण के दो वशिष्ट लक्ष्य हैं:**
 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा नीति एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर आवश्यक डेटा प्रदान करना।
 - **उभरते महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना।**
 - **सर्वेक्षण नमिनलखिति कषेत्रों में भारत की राज्य और राष्ट्रीय स्तर की जानकारी प्रदान करता है:**
 - प्रजनन
 - शिशु एवं बाल मृत्यु दर
 - परिवार नियोजन का अभ्यास
 - मातृ और शिशु स्वास्थ्य
 - प्रजनन स्वास्थ्य
 - पोषण
 - रक्ताल्पता
 - स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग एवं गुणवत्ता।
- **NFHS - 5 रिपोर्ट:**
 - **NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-20) के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (TFR) 2.2% से घटकर 2.0% हो गई है।**
 - भारत में केवल पाँच राज्य ऐसे हैं जो 2.1 की प्रजनन क्षमता के प्रतस्थापन स्तर से ऊपर हैं। ये राज्य हैं बहिर, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणपुर।

आगे की राह:

- हालाँकि भारत ने प्रतस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है, फरि भी प्रजनन आयु वर्ग में एक महत्त्वपूर्ण आबादी ऐसी है जिसे हस्तक्षेप प्रयासों के केंद्र में रखा जाना चाहिये।
- भारत का ध्यान परंपरागत रूप से आपूर्तिपक्ष यानी प्रदाताओं और वतिरण प्रणालियों पर रहा है, लेकिन अब **समयमांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने का है जिसमें परिवार, समुदाय और समाज शामिल हैं।**
- आपूर्तिपक्ष के स्थान पर मांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन संभव है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न 1. "महिलाओं का सशक्तीकरण जनसंख्या वृद्धिको नियंत्रित करने की कुंजी है।" वविचना कीजयि। (2019, मुख्य परीक्षा)

प्रश्न 2. भारत में वृद्ध जनसंख्या पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजयि। (2013, मुख्य परीक्षा)

प्रश्न 3. जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों की वविचना कीजयि तथा भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों का वसितार से उल्लेख कीजयि। (2021, मुख्य परीक्षा)

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/replacement-level-fertility>

